HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. **2nd** Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1563/2026

In

S.B. Criminal Appeal No. 1676/2023
CNR: RJHC020672562026 | URN: SOSA / 2801U / 2026

Mohit Alias Cheri S/o Ramavtar @ Gulip, Resident Of Khaleta, Police Station Khol, District Rewari (Haryana). (Presently Confined In Central Jail Alwar, District Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P. Mr. Pradeep Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/11/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **मोहित उर्फ चैरी** की ओर से विचारण न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम–3, अलवर (राजस्थान) द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**16/2022, सरकार बनाम मोहित उर्फ चैरी एवं अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 02.05.2023** व दंडादेश दिनांक **03.05.2023** के विरूद्ध यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या–988/2023, दिनांक 17.11.2023 को दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निरस्त किया गया है ।

द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को इस प्रकरण में अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक 25.03.2022 से लगातार अभिरक्षा में रहा है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग पांच वर्ष की हो चुकी है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अतः प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि

अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **02.01.2027** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मोहित उर्फ चैरी पुत्र श्री रामवतार उर्फ गुलीप** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Crt_6/D-A/40/MAHESH ADWANI